तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
9/3/16	पत्रावली पेश हुई/ वकील प्रार्थीयान ने प्रतिवादी एक की मृत्यु हो चुकी है। जिसका फार्म न 32 साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया, पत्रावली पर लिया गया/ अतः पत्रावली आदेश हेतु आयन्दा दिनांक 12/3/16 को पेश हो। ह0 SDO
12/3/16	पत्रावली पेश हुई/ आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत पर पेश हुई वकील प्रतिवादी ने समय चाहा है अतः समय दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 21/3/16 को पेश हो। ह0 SDO
21/3/16	पत्रावली पेश हुई/ बहस 22 R 10 CPC समय चाहा है अतः समय दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/5/16 को पेश हो। ह0 SDO
30/5/16	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय डिगरना अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 24/6/16 को पेश हो। ह0 SDO
दुर्गादास 24/6/16 मोती राम रामदेव	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र डिगरना पेश हुई प्रार्थी सं. 3 व 4 उपस्थित प्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अवगत करवाया कि प्रति. सं. 1 कुपाराम का देहान्त हो चुका है। पत्रावली का व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मौका-ए-आम से जानकारी प्राप्त की गई चूंकि वादीगण ने इस वाद में प्रति. सं. 1 के विरुद्ध ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है। चूंकि प्रति. सं. 1 का देहान्त हो जाने से इस प्रकरण में आगे कार्यवाही की जानी आवश्यक नहीं है इससे वादीगण का वाद प्रभावहीन होने तथा वादीगण स्वतः ही खातेदार हो जाने से वादीगण का वाद

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। आज्ञा जारी हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 162/2008

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. भवरसिंह पुत्र गंगासिंह		1. रूपाराम पुत्र चौथा
2. अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह		2. भंवरू पुत्र चौथा
3. पृथ्वीसिंह पुत्र गंगासिंह		3. हापू पुत्र चौथा
जातियान–राजूपत,		4. बलदेव पुत्र रूपाराम
निवासी–राबडियावास		जातियान–जाट, निवासी–अमरपुरा
तह.–जैतारण (जिला–पाली)		तह.–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 26.06.2008**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–राबडियावास, तहसील–जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 13 बिस्वा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 504 रकबा 53–16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 505 रकबा 5–01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 508 रकबा 110–12 बीघा किस्म आ0अ0 एवं खसरा नम्बर 541 रकबा 1–06 बीघा किस्म आ0अ0, कुल कता–7 कुल रकबा 151–13 बीघा की आई हुई हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि मे प्रतिवादीगण का कोई हक, हिस्सा व अधिकर नही हैं। वादीगण के उक्त भूमि के पडौस मे खरीदसुदा भूमि प्रतिवादी संख्या एक की पत्नी के नाम की आई हुई हैं। प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन की बीच की माठ तोडकर वादीगण की खातेदारी जमीन पर कब्जा करना चाहते है । प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई हैं। जमीन की किमते बढने से वादीगण की पैतृक पुश्तैनी जमीन पर नाजायज तौर से कब्जा करने पर उतारू हैं। जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण की जमीन पर कोई हक हिस, अधिकार नहीं है । दिनांक 23/06/2008 को सभी प्रतिवादीगण ट्रेक्टर लेकर आये ओर वादीगण की जमीन पर लाठी के बल पर खडाई करने लगे। तब वादीगण ने पुलिस थाना–आ0कालू मे सूचित किया। तब पुलिस वाले मौके पर आये और प्रतिवादीगण को वादीगण की जमीन पर खडाई करने से मना किया पुलिस वालो के जाने के बाद प्रतिवादीगण ने अपने ट्रैक्टरो से वादीगण की भूमि पर जबरदस्ती खडाई कर दी। वादीगण ने मना किया, तो प्रतिवादीगण लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा होने से वादीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं। प्रतिवादी संख्या एक की पत्नि के नाम की भूमि वादीगण की भूमि के बीच 5 फुट उची खदक लगी हुई हैं। खण्डक को छोडकर वादीगण की भूमि मे जबरदस्ती ट्रैक्टर से खडाई कर प्रतिवादीगण मरने मारने पर उतारू हैं। ऐलानिया कहते है कि कोर्ट कचहरी हमारा कुछ नही कर सकती। तुम जाकर कार्यवाही कर देना हमे किसी का डर नहीं। यदि प्रतिवादीगण लाठी के बल पर नाजायज तौर से वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लेगें, तो वादी अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगें तथा विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादीगण जैरबार हो जायेगें, इसलिए जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने व कब्जा करने से रोका जाना जरूरी है। वादीगण का बिनायदावा दिनांक 23/06/08 को जब प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती खडाई करने पर बमुकाम–राबडियावास, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार मे है व वाद अन्दर म्याद पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शहादत पेश करने हेतु बार–बार समच दिए जाने के बावजूद भी शहादत पेश नहीं करने से शहादत बन्द की जाती हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करते हैं। लिहाजा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–राबडियावास, तहसील–जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 13 बिस्वा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 504 रकबा 53–16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 505 रकबा 5–01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 508 रकबा 110–12 बीघा किस्म आ0अ0 एवं खसरा नम्बर 541 रकबा 1–06 बीघा किस्म आ0अ0, कुल कता–7 कुल रकबा 151–13 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :–

1. भवरसिंह पुत्र गंगासिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह
3. पृथ्वीसिंह पुत्र गंगासिंह

जातियान–राजूपत,
निवासी–राबडियावास
तह.–जैतारण (जिला–पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रूपाराम पुत्र चौथा
2. भंवरू पुत्र चौथा
3. हापू पुत्र चौथा
4. बलदेव पुत्र रूपाराम

जातियान–जाट, निवासी–अमरपुरा
तह.–जैतारण (जिला–पाली)

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान</u>
<u>काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:162/2008

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–राबडियावास, तहसील–जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 13 बिस्वा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 504 रकबा 53–16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 505 रकबा 5–01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 508 रकबा 110–12 बीघा किस्म आ0अ0 एवं खसरा नम्बर 541 रकबा 1–06 बीघा किस्म आ0अ0, कुल कता–7 कुल रकबा 151–13 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1=00	स्टाम्प वकालतनामा	1=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	1=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	5=00	मिजानः–	1=00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner